न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-373RAAJodhpur2024-204RTA225 Gudarram Vs Rewatsingh etc

गुदड़राम पुत्र स्व. श्री चुनीलाल जी, जाति कुम्हार, निवासी– ग्राम नान्दड़ा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. रेंवतसिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह
02. मंगलसिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह
03. चन्दनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
04. अर्जुनसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
05. जब्बरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह

    सभी जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण– गोयलो की ढाणी, गांव नान्दड़ा कल्लां, तहसील व जिला जोधपुर।
06. बगाराम पुत्र श्री मोटाराम
07. भानाराम पुत्र श्री कानाराम
08. मिश्रीलाल पुत्र श्री पेमाराम

    सभी जातियान् जाट, निवासीगण– गोयलों की ढाणी, गांव नान्दड़ा कल्लां, तहसील व जिला जोधपुर।
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 02 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2024 गुदड़राम राम बनाम रेंवतसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

धर्माराम चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2024 अनवान गुदड़राम बनाम रेंवतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 अगस्त 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 192 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा ग्राम नान्दड़ा कल्लां तहसील जोधपुर के संबंध में धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर अपने खातेदारी भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किय जाने की इस्तदुआ चाही गई। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11 जुलाई 2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतरिम रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स को वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 192 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 अगस्त 2024 के जरिये प्रार्थना पत्र पूर्व पारित अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए अपीलांट को अपने खेत में चालू रास्ते को सुचारू रखने का आदेश दे दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीना आदेश गलत, गैर कानूनी एवं बिना किसी आधार व बिना अपीलार्थी को सुने एवं विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश गलत रूप से अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्शाकर आदेश को संशोधित किया है, जबकि सहायक कलक्टर को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित करने का विधिनुसार कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में आर.आर.डी.1984 पेज 584 में मत प्रतिपादित है कि धारा 251(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते संबंधी चाराजोही दीवानी न्यायालय में की जा सकती है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में संशोधन का निवेदन किया किया गया। कानून उक्त प्रार्थना पत्र को संशोधित किये जाने के बावजूद ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलांट की खातेदारी भूमि में सें कोई रास्ता नहीं चलता है। रेस्पोडेंट्स अपने आवागमन हेतु मुख्य डामर सड़क का उपयोग करते आ रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर तीन वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोडेंट्स द्वारा केवल चुनावी रंजिश से अपीलांट को परेशान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 अगस्त 2024 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 192 में सें रास्ता चलता है जो अपीलांट द्वारा बंद कर दिया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा रास्ता खोलने हेतु अपीलांट को नोटिस दिये जाने पर वह तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय अस्थाई निषेधांज्ञा प्राप्त कर रास्ते को बंद कर दिया। रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब एवं तहसीलदार जोधपुर के रास्ता खोलने के आदेश की प्रति पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को रास्ता सुचारू रखने का आदेश दिया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्दो से भी स्पष्ट है कि अपीलांट के खेत में से रास्ता चलता है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन को बंद करने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं होने से अपास्त योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रास्ता सुचारू रखने का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.07.2024 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स अपने आवागमन हेतु अपीलांट के खातेदारी खसरा नं. 192 की दक्षिणी माठ/मेड़ के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़े रास्ता को उपयोग वर्षो से कर रहे है। वर्तमान में अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते का बंद किया जाना बताया गया है। मौका फर्द दिनांक 21.08.2024 में भी अपीलांट द्वारा रास्ते का लोहे की जाली, टुकड़े लगाकर रास्ता बंद करना बताया गया है।

अपीलांट द्वारा चालू रास्ते को बंद किये जाने पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2024 अनवान सरकार जरिये पटवारी, पटवार हल्का नान्दड़ा कल्लां बनाम गुदड़राम में दिनांक 23.08.2024 को निर्णय पारित कर मौके पर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं मौका फर्द के आधार पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी जाती है।

जहां तक अपीलांट का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में सें कोई रास्ता नहीं चलता है। इस संबंध में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु अपीलांट स्वतंत्र है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा मामले के अंतिम निस्तारण हेतु प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2024 अनवान गुदड़राम बनाम रेंवतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 अगस्त 2024 यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर